विदेशी नागरिक कैदियों के लिए रिहाई और वापसी योजनाएँ – फैक्टशीट

यह फैक्टशीट विदेशी नागरिक कैदियों या फॉरेन नेशनल प्रिज़नर्स के लिए कुछ रिहाई और वापसी योजनाओं के बारे में बताती है| यह प्रत्येक योजना के बारे में आपको बुनियादी जानकारी देने के लिए बनाई गई है| अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आपको जेल या अन्य एजेंसी के स्टाफ सदस्य से - जिन्हें विदेशी नागरिकों के मुद्दों के बारे में पता है - बात करने की आवश्यकता होगी|

अगर आप नीचे लिखी योजनाओं में से किसी के तहत हटाए या निर्वासित नहीं किए जाते हैं तब भी आप सजा पूरी होने पर निर्वासित किए जा सकते हैं।

अवधि पूर्व रिहाई योजना (अर्ली रिलीज़ स्कीम)

अर्ली रिलीज़ स्कीम(ईआरएस) एक ऐसी योजना है जिसके तहत सजा पूरी होने के पहले फॉरेन नेशनल प्रिज़नर्स (एफ़एनपीज़) ब्रिटेन से निर्वासित किए जा सकते है|

- किसी भी एफ़एनपी पर जो निश्चित अवधि की सजा भुगत रहा हो ईआरएस के तहत विचार किया जाना चाहिए|
- जेल एफ़एनपीज़ के बारे में गृह मंत्रालय (होम ऑफ़िस) को जानकारी भेजेगी जो तय करेगा कि कैदी ईआरएस के तहत रिहा किया जा सकता है या नहीं।
- ईआरएस किसी एफ़एनपी को आधी सजा पूरी होने के 270 दिन पहले तक यूके से निर्वासित किए जाने की अनुमति देती है, बशर्ते कि उसने पूरी सजा की कम से कम चौथाई मियाद पूरी कर ली हो।
- ईआरएस के स्वैच्छिक होने के कारण निर्वासन का विरोध करने वालों को इस योजना के तहत निर्वासित नहीं किया जा सकता हैं|
- ईआरएस के लिए अयोग्य एफ़एनपीज़ में निम्न सम्मिलित हैं:

    - जो रिहाई की शर्तों का पूर्व उल्लंघन करने पर सजा भुगत रहे हैं (**मसलन**, अस्थाई लाइसेंस पर रिहाई, **नज़रबंदी** – होम डिटेंशन -- कर्फ्यू);
    - जिन कैदियों ने जुर्माना नहीं दिया है या जब्ती के आदेश का पालन नहीं किया हैं;
    - वे कैदी जिन्हें सजा देते वक़्त उनकी आधी सजा कटने में 14 से कम दिन रह गए हों|
- विशेष परिस्थितियों में जेल सेवा ईआरएस के तहत रिहाई से इनकार कर सकती है| ऐसी परिस्थितियों के उदाहरण: स्पष्ट सबूत कि एफ़एनपी का इरादा और जुर्म करने का है, हिरासत में क्लास'ए'ड्रग्स का लेनदेन, जेल में कई अवसरों पर हिंसा या हिंसा की धमकी देने के सबूत, आतंकवाद या आतंकवाद से संबंधित अपराध के लिए सजा काटना|
- ईआरएस के तहत यूके से निर्वासित किए जाने के बाद अगर आप सजा की अवधि समाप्त होने के पहले **यूके** लौटते हैं तो आप फिर से गिरफ्तार किए और जेल भेजे जा सकते हैं|
- सजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कम से कम 5 साल के लिए **यूके** में आपके पुन: प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा| प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो जाने के बाद आप यूके वापस आने के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड के कारण यह आवेदन अस्वीकार किए जाने की **पूरी** संभावना है|
- जेल सेवा शिकायत प्रणाली का उपयोग करते हुए कैदी ईआरएस के तहत रिहाई से इनकार के बारे में शिकायत कर सकते है|
- कैदी प्रक्रिया के किसी भी चरण में ईआरएस से अपना नाम वापस ले सकते हैं|

ईआरएस के बारे में अधिक जानकारी प्रिज़न सर्विस इंस्ट्रक्शन 04/2013 में देखी जा सकती है|

अवधि समाप्ति निष्कासन योजना (टैरिफ़ ऐक्सपायर्ड रिमूवल स्कीम)

टैरिफ़ ऐक्सपायर्ड रिमूवल स्कीम (टीईआरएस) अनिश्चित काल के लिए या उम्र कैद के सजायाफ्ता विदेशी नागरिक कैदियों -- इनडिटरमिनेट या लाइफ़ सेन्टेंस फॉरेन नेशनल प्रिज़र्नस (आईएफ़नपीज़) -- को उनकी सज़ा ख़त्म होने पर या उसके बाद जितनी जल्दी संभव हो यूके से निष्कासन की अनुमति देती है|

- नेशनल औफ़ेन्डर मैनेजमेंट सर्विस (एनओएमएस) का पब्लिक प्रोटेक्शन केसवर्क सेक्शन उन आईएफ़नपीज़ पर इस योजना के तहत विचार करेगा जो यूके से क़ानूनन हटाए जा सकते हैं|
- टीईआरएस स्वैच्छिक है, इसलिए निर्वासन का विरोध करने वालों को इस योजना के तहत निर्वासित नहीं किया जा सकता है|
- टीईआरएस के तहत रिहाई के लिए अनुपयुक्त आईएफ़नपीज़ में निम्न सम्मिलित हैं:
    - आईएफ़एनपी जो और आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है या जिस पर जब्ती का आदेश है या जिस पर जब्ती के आदेश के तहत कार्यवाही चल रही है| अपवादों पर विचार किया जा सकता है; उदाहरण के तौर पर, अगर कैदी लंबी सज़ा काट चुका है और बकाया राशि अपेक्षाकृत कम है|
    - इसका स्पष्ट सबूत है कि आईएफ़एनपी आगे अपराध करने की योजना बना रहा है|
    - जो आतंकवाद या आतंकवाद से संबंधित अपराधों के लिए सजा काट रहे हैं|

टीईआरएस के संचालन के बारे में अधिक जानकारी प्रिज़न सर्विस इंस्ट्रक्शन 18/2012 में देखी जा सकती है|

सुगम वापसी योजना (फ़ेसिलिटेटेड रिटर्न्स स्कीम)

फ़ेसिलिटेटेड रिटर्न्स स्कीम (एफ़आरएस) एक ऐसी स्वैच्छिक योजना है जो स्वदेश लौटने वालों को आर्थिक सहायता देती है|

- एफ़आरएस केवल उन एफ़एनपीज़ के लिए उपलब्ध है जो यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (यूरोपीयन इकोनोमिक ऐरिया -- ईईए) से **नहीं हैं**|
- यह योजना ईआरएस के तहत काम करती है इसलिए इस योजना में स्वीकार किए जाने वालों को आधी सजा पूरी होने के 270 दिन पहले तक स्वदेश लौटाया जा सकता है|
- यह योजना उन एफ़एनपीज़ को पैसे और पुनर्वास में मदद प्रदान करती है जो अपने देश लौटना स्वीकार करते हैं और निर्वासन के खिलाफ अपील करने का अधिकार त्याग देते हैं।

निम्नलिखित विदेशी नागरिक अपराधी (फॉरेन नेशनल औफ़ेन्डर्स -- एफ़एनओज़) एफ़आरएस के लिए योग्य **नहीं हैं**:

- कोई भी एफ़एनओ जो ४ साल या उससे अधिक अवधि की सजा काट रहा है
- कोई भी एफ़एनओ जिसने दो बार एफ़आरएस के लिए आवेदन किया है और फिर अपना आवेदन वापस ले लिया है
- कोई भी एफ़एनओ जिसने निर्वासन के निर्णय के विरुद्ध आव्रजन और शरण चेंबर (इमिग्रेशन एंड असाइलम चेंबर) के पहले स्तरीय ट्रिब्यूनल से ऊपर अपील की है या न्यायिक समीक्षा का अनुरोध किया है| आपको अपने वकील से पूछना आवश्यक हो सकता है कि यह आप पर लागू होता है या नहीं|

एफ़आरएस के तहत क्या मिलता है	अगर आप जेल की सजा काट रहे हैं	अगर आपने जेल की सजा काट ली है
यूके छोड़ते समय	£500	£500
स्वदेश लौटने के बाद		

	£1000	£250

- अकेले माता-पिता को उनके साथ वापस जाने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए अतिरिक्त £100 मिल सकता है। यह राशि यूके छोड़ने पर £500 के साथ नकद कार्ड में डाली जाएगी|
- पैसा एक नकद कार्ड में डाल दिया जाएगा। हवाई अड्डे पर आपको £500 दिए जाएँगे जो आप घर लौटने पर निकाल सकेंगे| शेष राशि स्वदेश लौटने के एक महीने बाद कार्ड पर चढ़ा दी जाएगी|
- अगर आप एफ़आरएस के तहत निर्वासित किए जाते हैं तो आपके देश के अधिकारियों को सूचित **नहीं** किया जाएगा कि आपको इस योजना से पैसा प्राप्त हुआ है|
- अपना मन बदलने पर आप किसी भी समय इस योजना से अपना नाम वापस ले सकते हैं|
- आप जेल स्टाफ के किसी सदस्य से मदद माँग कर या होम ऑफिस की एफ़आरएस टीम को 020 8760 8513 पर फोन करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|
- एफ़आरएस के तहत निष्कासन निर्वासन माना जाता है, जिसका मतलब यह है कि निर्वासन आदेश की अवधि के लिए, आम तौर पर न्यूनतम 5 साल, यूके में पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है। प्रतिबंध समाप्त हो जाने के बाद भी ब्रिटेन में प्रवेश का आवेदन आपराधिक रिकॉर्ड और बुरे चरित्र के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है|

कैदी स्थानांतरण

अगर आपके देश और यूके के बीच समझौता है तो आप अपने देश में सजा काटने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे कैदी स्थानांतरण कहा जाता है।

आम तौर पर किसी कैदी को कैदी स्थानांतरण समझौते के तहत उसके देश स्थानांतरित करने के लिए कैदी का खुद का सुझाव आवश्यक है| हालांकि अब कुछ यूरोपीय देशों के साथ ऐसे समझौते हैं जो कैदी की सहमति के बिना उसके देश की जेल में स्थानांतरण की अनुमति देते हैं। अगर आप गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं कि वे आपको आपके देश की जेल में स्थानांतरित करने की माँग कर रहे हैं और आप यह नहीं चाहते हैं तो आपको अपने विकल्पों पर कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

- यूके के साथ जिन देशों का कैदी स्थानांतरण समझौता है उनकी सूची, स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र के साथ, प्रिज़न सर्विस इंस्ट्रक्शन 52/2011 में उपलब्ध है|
- अपने देश लौटने पर आपको रिहा नहीं किया जाएगा| आप अपनी बाक़ी सजा वहाँ पूरी करेंगे|
- अगर आप अपने देश की जेल में स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आम तौर पर यह एक धीमी प्रक्रिया है जो कम से कम 6 महीने लेती है. आपकी सजा ४ साल या उससे अधिक है और कम से कम ६ महीने की सजा बाकी है तभी यह क़दम उठाने लायक है|